(3)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला– गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक / निरीक्षण / 548-49 /2016–17 तारीख 29-4-016

प्रबन्धक,

महर्षि विद्यामन्दिर जू0हा0स्कूल

भौवापार सेवइबाजार पिपरौली, गोरखपुर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **27.08.2015** के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै **महर्षि विद्यामन्दिर जू0हा0स्कूल भौवापार सेवइबाजार पिपरौली, गोरखपुर** को तारीख **01.07.2015** से तारीख **31.06.2018** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं)** के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालको की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15–सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

16–शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापाकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17–जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

18–मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0पी0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृ0सं0–संख्याक/निरीक्षण/ – /2016–17 तददिनांक

प्रतिलिपि– **सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर